



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी दुर्गेश पाठक

C-4704 सेक्टर-12

राजा जी पुरम लखनऊ

पत्रांक

1794

नि० प्र० 2017/296/265

दिनांक 23-6-17

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 13/7092 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 30-5-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/269

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-6-17 से 22-6-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 220.53 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 162.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक 23-6-17

पृ० सं०

1794

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बुन्दालवन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम यो.) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बुन्दालवन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी लक्ष्मी नारायण

F-2/5201 राजा जी पुरम

लखनऊ

पत्रांक 1294

नि० प्र० 2017/284/2

दिनांक 11/5/17

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या F-2/5201 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 3-5-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/284/2

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 11/5/2017 से 10/5/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूखण्ड, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 90:32 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 181:59 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

Kalupaf
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 1294 / उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

तददिनांक 11/5/2017

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बुन्दावन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम योजना) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बुन्दावन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Kalupaf
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी प्रेम नाथ सिंह
F-2208 राजा जी पुरम
लखनऊ

पत्रांक

902

नि० प्रा० 2017/276/1

दिनांक

03/4/17

भवन/भूखण्ड संख्या/खससा संख्या F-2202 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27-3-17 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2017/276/1 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 03/4/17 से 24/4/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा मम्टी हेतु 68.62 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 120.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 68.62 वर्गमी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं०
प्रतिलिपि:-

902

/उपरोक्त /

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक

तददिनांक

03/4/17

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम योजना) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सुवमा देवी
E-3450 राजा जी पुरम
लखनऊ

पत्रांक

77

नि० प्र० 2016/256

दिनांक 9/1/17

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या E-3450 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22-12-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/256

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9/1/17 से 8/1/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल तथा ममटी~~ हेतु 45.44 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 56.07 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

7.1/1/17
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

77

/उपरोक्त

तददिनांक

9/1/17

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम योजना) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7.1/1/17
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी मैनेजर यादव
E-3099 राजा जी पुरम
लखनऊ

पत्रांक

2191

नि० प्र० 2016/211

दिनांक 21/7/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या E-3099 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 3-6-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/211

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 21/7/16 से 20/7/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा मसृटी हेतु 41.42 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 84.40 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1.2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

2. Kalyan 21/7/16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

2191

/ उपरोक्त

/

तददिनांक

21/7/16

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1.2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम यो.) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. Kalyan 21/7/16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी अब्दुल करीम
40/111 नया चौक परेड
कानपुर

पत्रांक

208.

नि० प्रा० 2016/188/1

दिनांक

25/1/17

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या F-1840 योजना राजाजीपुरम नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26-5-16 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2016/188/1 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25/1/17 से 25/1/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा मम्दी हेतु 85.07 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 141.93 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 85.07 वर्गमी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक

25/1/17

पृ० सं०

208

/उपरोक्त

/

प्रतिलिपि:-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजाजीपुरम योजना) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी श्वेता मिश्रा

C-338। राजा जी पुरम

लखनऊ

पत्रांक 189 मो. नं. 8090039297 नि० प्र० 2016/162

दिनांक 22/1/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या C-1911 योजना राजा जी पुरम योजना नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14-1-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/162
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 22/1/16 से 21/1/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 155.75 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 234.43 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


22.1.16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

दिनांक 22/1/16

पृ० सं० 109 / उपरोक्त
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित), सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम यो.) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


22.1.16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

नेवा ने

श्री/श्रीमती/कुमारी अमित मेहरोत्रा
मेहरोत्रा हाउस MIG-761/2 टिकैत राय
एल.डी.ए. कालोनी सआदतगंज लखनऊ

पत्रांक

1370

नि० प्रा० 2016/173

दिनांक

24/5/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या B-30 योजना राजा जीपुरम नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 5-2-16 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या.....के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24/5/16 से 23/5/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत प्रकृत प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति बसमेंट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा गमटी हेतु 539.48 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 519.29 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12, 2010 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रमुख अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 539.48 वर्गमीटर भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं०

1370

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

24/5/16

तददिनांक

23.5.16

प्रतिलिपि:-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जीपुरम) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

23.5.16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी रज्जन लाल जीवास्तव

D-99 राजा जी पुरम

लखनऊ

पत्रांक 1793

नि0 प्रा0 2017/298 / 267

दिनांक 23-6-17

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या D-99 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 6-6-17 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 2017/298 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-6-17 से 22-6-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 454.00 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 452.92 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

P. Kalyan
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 1793 / उपरोक्त /
प्रतिलिपि :-

तददिनांक 23-6-17

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम योजना) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

P. Kalyan
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक